**रेल मंत्रालय**

**भारत सरकार**

**लोक सभा**

**31.07.2024 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1537 का उत्तर**

**पंजाब में होशियारपुर रेलवे ट्रैक का विस्तार**

**1537. डॉ. राज कुमार चब्बेवाल:**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) क्या सरकार पंजाब में होशियारपुर रेलवे ट्रैक के विस्तार की योजना बना रही है;**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ग) क्या सरकार होशियारपुर शहर को हिमाचल प्रदेश के ऊना और टांडा से जोड़ने का प्रस्ताव कर रही है; और**

**(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**

**(श्री अश्विनी वैष्णव)**

**(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।**

**********

**पंजाब में होशियारपुर रेलवे ट्रैक के विस्तार के संबंध में दिनांक 31.07.2024 को लोक सभा में डॉ. राज कुमार चब्बेवाल के अतारांकित प्रश्न सं. 1537 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।**

**(क) से (घ): रेल परियोजनाएं क्षेत्रीय रेल-वार स्वीकृत और निष्पादित की जाती हैं न कि राज्य/जिला/शहर-वार क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं से आर-पार फैली हो सकती हैं।**

**भारतीय रेल पर वे क्षेत्र जो रेल नेटवर्क से जुड़े हुए नही हैं, उनमें नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण करना सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, संगठनों/रेल उपयोगकर्ताओं द्वारा की गई मांगों और रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है।**

**भारतीय रेल नेटवर्क पर होशियारपुर, टांडा उड़मुड़ और ऊना मौजूदा रेलवे स्टेशन हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए होशियारपुर-टांडा उड़मुड़ नई लाइन (34 किमी) का सर्वेक्षण स्वीकृत कर दिया गया है।**

**ऊना-होशियारपुर नई लाइन (40 किमी) का सर्वेक्षण किया गया था। इस परियोजना को यातायात संभाव्यता कम होने के कारण आगे शुरू नहीं किया जा सकता है।**

**भारतीय रेलों पर रेलवे परियोजनाओं को स्वीकृत करना सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है। रेल अवसंरचानात्मक परियोजनाओं को लाभप्रदता, अंतिम छोर पर संपर्कता, मिसिंग लिकं और वैकल्पिक मार्गों, भीड़-भाड़/संतृप्त लाइनों का संवर्धन, सामाजिक-आर्थिक पहलूओं आदि के आधार पर शुरू किया जाता है जो चालू परियोजनाओं की दायिताओं, निधि की समग्र उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी मांगों पर निर्भर करता है।**

**01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, पंजाब राज्य में पूर्णतः/अंशत: आने वाली 19,843 करोड़ रुपए की लागत वाली 1,158 किलोमीटर कुल लंबाई की 12 रेल परियोजनाएं (06 नई लाइन**

और 06 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/कार्यान्वयन के विभिन्न चरण में हैं, इनमें से 225 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 7,590 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

i. 11,220 करोड़ रु. की लागत पर 367 किलोमीटर कुल लंबाई की 6 नई लाइन परियोजनाएं, इनमें से 61 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 5546 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।
ii. 8623 करोड़ रु. की लागत पर 791 किलोमीटर लंबाई की 6 दोहरीकरण परियोजनाएं, इनमें से 194 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 2,044 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

2014 से, भारतीय रेलों पर परियोजनाओं के निधि आवंटन और तदनुरूप कमीशनिंग में पर्याप्त वृद्धि की गयी है। पंजाब राज्य में पूर्णतः/अंशतः रूप से पड़ने वाले अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आवंटन निम्नानुसार है:-

| अवधि | औसत परिव्यय | 2009-14 के दौरान औसत आवंटन की तुलना में अधिक वृद्धि प्रतिशत में |
|---|---|---|
| 2009-14 | 225 करोड़ रु./वर्ष | - |
| 2023-24 | 4762 करोड़ रु. | 21 गुना से अधिक |
| 2024-25 | 5147 करोड़ रु. | लगभग 23 गुना |

यद्यपि निधि आबंटन में कई गुना वृद्धि हुई है परन्तु परियोजना के निष्पादन की गति शीघ्र भूमि अधिग्रहण पर निर्भर करती है। पंजाब राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में हुए विलंब के कारण रुका हुआ है। नंगलडैम तलवाड़ा नई लाइन परियोजना के दौलतपुर-तलवाड़ा खंड में, लगभग 89.92 हेक्टेयर की कुल आवश्यकता में से केवल लगभग 17.17 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। रेलवे ने भूमि अधिग्रहण के प्रयास शुरू किए थे परन्तु परियोजनाओं के लिए भूमि

**अधिग्रहित करने में सफल नहीं हो सकी। भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए पंजाब सरकार के सहयोग की आवश्यकता है।**

**किसी रेल परियोजना(ओं) का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृतियां, साझा लागत परियोजनाओं में राज्य सरकारों द्वारा साझा लागत जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना(ओं) स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना(ओं) को पूरा करने के समय को प्रभावित करते हैं।**

*****